बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0—9/कोर्ट—10—13/2017(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः—...............................

डा0 (श्रीमती) ममता प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, पूसा, समस्तीपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक—1559 दिनांक—11.04.2003 एव सिविल सर्जन, समस्तीपुर के पत्रांक—1270 दिनाक—17.05.2003 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक—19.08.2002 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0—1284(9) दिनांक—04 11.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही सचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं द्वितीय कारण—पृच्छा का प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने के कारण लगातार पॉच वर्षो से अधिक अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम—76 के तहत डा0 (श्रीमती) प्रसाद को विभागीय संकल्प सं0—1308(9) दिनाक—08.12.2016 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।

2. समादेश याचिका सं0—6354/2017 में दिनांक—18.07.2018 को पारित आदेश में डा0 (श्रीमती) प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही मे प्रक्रियात्मक त्रुटि रहने के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को खारिज कर दिया गया।

3. विभागीय अधिसूचना स0—1041(9) दिनाक—06.12 2021 द्वारा डा0 (श्रीमती) प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए सेवा में पुनर्स्थापित कर मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना मे योगदान करने का निदेश दिया गया तथा विभागीय अधिसूचना स0—1065(9) दिनांक—10.12 2021 द्वारा डा0 (श्रीमती) प्रसाद को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में निलबित किया गया।

4. डा0 (श्रीमती) प्रसाद के विरूद्ध दिनाक—19.08.2002 से 31.03 2005 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं मार्च 2003 से जनवरी 2005 तक के अनुपस्थित अवधि का वेतन की निकासी करने के आरोप में विभागीय संकल्प स0—623(9) दिनांक—03.08.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही सचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र मे वर्णित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्रांक—276(9) दिनांक—31.03.2023 द्वारा डा0 (श्रीमती) प्रसाद से द्वितीय कारण—पृच्छा की मॉग की गयी।

5. उनके द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत करायी गयी कि वे दिनांक—19.08.2002 से 24 08.2002 तक अवकाश लेकर दिल्ली ईलाज करवाने गयी। राजीव गॉधी कैंसर संस्थान, नई दिल्ली में वे ईलाजरत रही। उनके द्वारा स्वस्थ होने के उपरांत दिनांक—28.05 2003 को सिविल सर्जन, समस्तीपुर के समक्ष योगदान समर्पित की गयी। सिविल सर्जन, समस्तीपुर के पत्राक—695 दिनाक—31.03.2005 द्वारा विभागीय आदेश के अनुपालन में नवपदस्थापित स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, भागलपुर में योगदान करने हेतु विरमित किया गया। अनुमण्डलीय अस्पताल, पूसा, समस्तीपुर से निर्गत अंतिम वेतन पर्ची एवं सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक—3443 दिनांक—26 07.2010 द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में वेतनादि प्राप्त किया गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 (श्रीमती) प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एव उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर के सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि सिविल सर्जन, समस्तीपुर के पत्रांक—1531 दिनांक—29.05.2004 के अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक—29.05 2004 को कर्त्तव्य पर योगदान समर्पित कर पुनः दिनांक—31 03.2005 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहीं। एल०पी०सी० मे अनुपस्थिति अवधि का उल्लेख नहीं रहने एव डा0 (श्रीमती) प्रसाद द्वारा सिविल सर्जन, भागलपुर के समक्ष गलत शपथ पत्र समर्पित कर कतिपय कर्त्तव्य

31/12/2024

(15)

अवधि सहित अनुपस्थिति अवधि का कुल–2,99,376/–(दो लाख निनान्वे हजार तीन सौ छिहत्तर) रू० का अनियमित भुगतान प्राप्त किया गया है।

7. फलतः डा0 (श्रीमती) प्रसाद के विरूद्ध दिनांक–19.08.2002 से 31.03.2005 तक की अनधिकृत रूप से अनुपस्थित अवधि पर निर्णय निम्नवत् संसूचित की जाती है:–

(i) डा0 (श्रीमती) प्रसाद को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए पदस्थापन की प्रतीक्षा मे स्वास्थ्य विभाग में योगदान करने का निदेश दिया जाता है।

(ii) संचयी प्रभाव के बिना तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

(iii) आलोच्य अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित किया जाता है।

(iv) अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद कुल 2,99,376/–रू0 की अनियमित वेतन प्राप्त की गयी राशि को डा0 (श्रीमती) प्रसाद से चार बराबर किश्तों मे सरकारी कोषागार में जमा कराया जायेगा।

(v) निलंबन अवधि के विनियमन का निर्णय अलग से किया जायेगा।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/कोर्ट–10–13/2017(स्वा0) 1402(9) **/पटना, दिनांकः–** 31.12.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले एव ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर एव दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/सिविल सर्जन, भागलपुर एव समस्तीपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव एवं सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ0 (श्रीमती) ममता प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, पूसा, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31/12/2024
सरकार के अवर सचिव।